TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (REVENUE DEPARTMENT) 5, SHAM NATH MARG, DELHI.

F. No. 7 (1)/Rev. Dept./GA br./Rev. P./SDM/P.F./2012/ † 48 &

Dated: 27/07/2012

NOTIFICATION

In pursuance of the Services Department's order No. 60 dated 08.02.2012, **Shri Vinod Kumar, Ad-hoc DANICS** has joined as **Sub-Divisional Magistrate (Darya Ganj),** on 01.03.2012 (F/N). Now, therefore,

- In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act No. XVII of 1887) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby confers upon **Shri Vinod KumarAd-hoc DANICS** the power of Assistant Collector, Ist Class under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, w.e.f date of assumption of charge and so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
- 2. In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 15 read with 223 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901(Act No. III of 1901) as extended to the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints Shri Vinod Kumar, Ad-hoc DANICS as Assistant Collector, Ist Grade under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, and confers upon him all the powers of Collector under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, w.e.f date of assumption of charge and so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
- 3. In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 7 read with 76 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby appoints **Shri Vinod Kumar, Ad-hoc DANICS** as Assistant Collector, Ist Class and Revenue Assistant in the National Capital Territory of Delhi and confers upon him all the powers of Collector under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, w.e.f date of assumption of charge and so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
- 4. In exercise of the powers conferred by Section 4 read with Clause 6 of Section 3 of the Northern India Canal & Drainage Act, 1873(Act No. 2 of 1873) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby appoints **Shri Vinod Kumar, Ad-hoc DANICS** as Collector, to exercise or perform the duties conferred or imposed under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, w.e.f date of assumption of charge and so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
- 5. In exercise of powers conferred by Clause 19-A of Section 3 of the Delhi Land Reforms Act, 1954(Act No. 8 of 1954) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby empowers **Shri Vinod Kumar**, **Ad-hoc DANICS** as Assistant Collector, Ist class to perform the function of Revenue Assistant described in the Schedule I as appended to the said Act within the National Capital Territory of Delhi, w.e.f date of assumption of charge and so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
- 6. In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 20 of East Punjab Holdings (Consolidation & Prevention of Fragmentation) Act 1948 (Act No. 50 of 1948) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoints **Shri Vinod Kumar, Ad-hoc DANICS** as Settlement Officer(Consolidation) for National Capital Territory of Delhi, w.e.f date of assumption of charge and so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
- 7. In exercise of the powers conferred by Clause (c) of the Section 2 of the Delhi Land Holding(Ceiling) Act, 1960 (F.No. 24 of 1960) the Lt. Governor National Capital Territory of Delhi, is pleased to authorize **Shri Vinod Kumar, Ad-hoc DANICS** to perform the function of the Competent Authority under the said Act within the whole areas to which the provision of the said act are applicable w.e.f date of assumption of charge and so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

BY ORDER AND IN THE NAME OF The Lt. GOVERNOR POF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI.

Dated:

Roansal

(Kuldeep Singh Gangar) **Spl. Secretary (Revenue)**

F. No. 7 (1)/Rev. Dept./GA br./Rev. P./SDM/P.F./2012/ Copy forwarded for information and necessary action to:-

- Dy. Secretary(GAD) Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi along with two copies of Notification in English & Hindi for publication in Part-IV, Delhi Extra Ordinary Gazette
- 2 Deputy Commissioner District Central.
- 3 Officer Concerned through the Deputy Commissioner Central

The System Analyst with the request to upload the notification on the website of this department.

- 5 C.A. to Principal Secretary (Revenue)/Divisional Commissioner, GNCT of Delhi.
- 6 Guard file.

(D.K. SAINI)

दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग 4 में प्रकाशनार्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार (राजस्व विभाग)

5 , शाम नाथ मार्ग , दिल्ली

सं0. 7/(1)/रा.वि./स.से.शा./रा. श./उपम. द./2012/पार्ट फा./ 1488

दिनांक: 27/07/201L

अधिसूचना

सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं0 60 दिनॉक 08.02.2012 के सन्दर्भ में श्री विनोद कुमार, तदर्थ दानिक्स ने दिनॉक 01.03.2012 (पूर्वाहन) को उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी, (दिरयागंज), जिला- मध्य का कार्यभार संभाल लिया है। अतः-

- (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू पंजाब भू-राजस्व अधिनियम 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम संख्या 17) की धारा 27 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अर्न्तगत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, श्री विनोद कुमार, तदर्थ दानिक्स को, उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शिक्तयाँ, अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान की जाती है ।
- (2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तरप्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1901 (1901 का अधिनियम संख्या 03) की धारा 223 के साथ पिठत धारा 15 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में श्री विनोद कुमार, तदर्थ दानिक्स को, उक्त अधिनियम के अर्न्तगत उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी के रूप में नियुक्त किया जाता है तथा उस समय तक कलैक्टर/सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों, अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान की जाती है ।
- (3) दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 12) की धारा 76 के साथ पिटत धारा 07 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा श्री विनोद कुमार, तदर्थ दानिक्स को, उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी तथा राजस्व सहायक के रूप में नियुक्त किया जाता है तथा उक्त अधिनियम के अर्न्तगत उस समय तक कलैक्टर की सभी शिक्तियाँ, अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान की जाती है ।
- (4) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू उत्तरी भारत नहर तथा जल निकास अधिनियम 1873 (1873 का अधिनियम संख्या 02) की धारा 03 के खण्ड 6 के साथ पिठत धारा 04 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा उक्त अधिनियम के अर्न्तगत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, श्री विनोद कुमार, तदर्थ दानिक्स को कलैक्टर के रूप में, सभी कार्यों को करने अथवा अधिरोधित करने के लिये, अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है।
- (5) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 के अधिनियम संख्या 8 की धारा 3 के खंड 19 ए के द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 परिशिष्ट में वर्णित राजस्व सहायक के कार्यों को निर्वाहन करने के लिए श्री विनोद कुमार, तदर्थ दानिक्स को, उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शिक्तयाँ, अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डिषकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान की जाती है ।
- (6) पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी तथा विखंडन रोकथाम) अधिनियम 1948 (1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम संख्या 50) की धारा 20 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए, श्री विनोद कुमार, तदर्थ दानिक्स को उस, समय तक बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के रूप में, अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता हैं।
- (7) दिल्ली भूमि जोत (सीमाबंदी) अधिनियम 1960 (1960 का अधिनियम सं0 24) की धारा 2 के खंड ग द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अंतर्गत उस समस्त क्षेत्र के लिए जहां लागू होता हों, के लिये सक्षम प्राधिकारी का कार्य करने के लिये श्री विनोद कुमार, तदर्थ दानिक्स को, अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं अथवा अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्राधिकृत किया जाता है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर

दिनांक :

annah Ine diliz

(कुलदीप सिंह गंगर)

विशेष सचिव (राजस्व)

सं0. ७/(1)/रा.वि./स.से.शा./रा. श./उपम. द./2012/पार्ट फा./

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

- उप-सचिव (सा0 प्रा0 वि0) रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग 4 में प्रकाशनार्थ थिसूचना की दो प्रतियां अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद सहित ।
- 2 उपायुक्त (मध्य), जिला- मध्य ।
- 3 संबंधित अधिकारी को उपायुक्त जिला मध्य दिल्ली के माध्यम से ।

प्रणाली विषलेशक (उपयुक्त अधिसूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) ।

5 सी.ए., प्रधान सचिव (राजस्व)/मण्डलायुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,दिल्ली, ।

6 गार्ड फाइल ।

Qint_